महत्वपूर्ण एवं खास

धारदार कत्ता लेकर घूम रहा युवक गिरफ्तार

रायगढ। दिनांक 26.03.2023 के शाम जूटमिल पुलिस द्वारा कबीर चौक पर एक युवक को धारदार हथियार (लोहे का कत्ता) लेकर लोगों को भयभीत करने की सूचना पर घेराबंदी कर पकड़ा गया। पकड़े गए युवक जगेश्वर साहू पिता चंदू साहू उम्र 30 वर्ष निवासी शुक्रवारीपारा गुढ़ियारी रायपुर हाल मुकाम रेलवे स्टेशन बांग्लापारा रायगढ़ पुलिस की कार्यवाही दौरान पुलिसकर्मियों से हुज्जतबाजी, झगड़ा विवाद करने लगा। आरोपी जगेश्वर साहू के कृत्य पर थाना जूटमिल में धारा 186 353 आईपीसी 25, 27 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। थाना प्रभारी निरीक्षक कमल किशोर पटेल, प्रधान आरक्षक रामनाथ बनर्जी, दिलदार कुरैशी, आरक्षक शशिभूषण साहू शामिल थे।

इंस्टाग्राम फ्रेंड ने युवती से किया दुष्कर्म, पीड़िता की शिकायत पर खरसिया थाने पर अपराध दर्ज

रायगढ़। थाना खरसिया में स्थानीय युवती खरसिया औरदा के चितरंजन महंत पर शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया। पीड़ित युवती बताई कि पिछले साल चितरंजन से इंस्टाग्राम के जरिये जान पहचान हुआ। दोनों के बीच मोबाइल से बातचीत होने लगा। 25 जून के सुबह चितरंजन महंत घर आया, उस समय घर पर कोई नहीं थे। चितरंजन करेंगे कहकर शारीरिक संबंध बनाया, उसके बाद अन्य कई बार शादी करने का विश्वास दिलाकर दुष्कर्म किया जिसे शादी करने कहने पर अब इंकार कर दिया है। पीड़ित युवती के लिखित आवेदन पर थाना खरसिया में धारा 376 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी चितरंजन महंत निवासी ग्राम औरदा, थाना खरसिया की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश दिया गया। आरोपी फरार है, पतासाजी की जा रही है।

28 मार्च को बिलाईगढ़ में और बरमकेला में 29 मार्च को फूड लाइसेसं शिविर

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी के निर्देश पर उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ द्वारा जिले में फूड लाइसेंस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा एफएसएसएआई खाद्य अनुज्ञप्ति / पंजीयन शिविर गोपाल किराना स्टोर, इंद्रा मार्केट बिलाईगढ़ मे 28 मार्च को तथा ड्रीम कैफ़े लेंधरा रोड़ बरमकेला में 29 मार्च को फूड शिविर का आयोजन किया गया है। पंजीयन का कार्य प्रातः 11 बजे से संध्याकालीन 4 बजे तक किया जावेगा। शिविर में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 के तहत रिपैकर ,रीलेबरर ,खाद्य परिवहन, थोक व खुदरा विक्रेता, होटल ,रेस्टोरेंट,ढाबा ,किराना दुकान ,मीट शॉप, पान ठेला, गुपचुप ठेला, गन्ना रस ,जूस सेंटर, खाद्य बर्फ, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर, सब्जी, फल विक्रेता व अन्य किसी भी प्रकार के खाद्य कारोबार कर्ता को लाइसेंस/ पंजीयन प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है। बिना खाद्य अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार करने पर 6 माह का कारावास एवं एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। पंजीयन/ लाइसेंस के लिए खाद्य कारोबार कर्ता के पासपोर्ट साइज का फोटो, आधार कार्ड, बिजली बिल, किरायानामा/ नियम की एनओसी या गुमास्ता दस्तावेज होना अनिवार्य है। पंजीयन हेतु वार्षिक टर्नओवर 12 लाख तक होने पर 100 पंजीयन शुल्क, 12 लाख से 20 करोड़ तक पर 2000 है, जबकि उतापदन कर्ता हेतु क्रमशः 3000 व 5000 रूपए का शुल्क प्रति वर्ष निर्धारित है। जिला प्रशासन ने सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर पंजीयन /अनुज्ञप्ति शिविर का लाभ उठाने की अपील की है।

केलो परियोजना बनेगी रायगढ़ के लिए वरदान... 175 गांवों का 22,810 हेक्टेयर रकबा होगा सिंचित

- जिले के बड़े इलाके को मिलेगा सिंचाई के लिए पानी
- पेयजल और निस्तारी में मिलेगी मदद
- अंतिम चरण का कार्य युद्धस्तर पर जारी
- दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य

रायगढ़। केलो वृहत सिंचाई परियोजना रायगढ़ के लिए वरदान सिद्ध होगा। इस सिंचाई परियोजना के पूरे होने से 175 गांवों में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। वहीं पेयजल और निस्तारी के लिए भी गांवों को पानी मिलेगा। परियोजना में 80 फीसदी से अधिक कार्य पूरा कर लिया गया है और अंतिम चरण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। मुख्य नहर और शाखा नहर का काम पूरा किया जा चुका है। वितरक और लघु नहरों के शेष बचे काम को भी पूरा किया जा रहा है। दिसंबर 2023 तक नहरों का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जिससे परियोजना का लाभ जिले के किसानों को मिल सके।

गौरतलब है कि केलो वृहत परियोजना की शुरुआत 2009 में हुई थी। इसकी लागत 891 करोड़ रुपए है। इसमें केलो डैम के निर्माण के साथ ही मुख्य नहर, शाखा और वितरक नहरों का निर्माण शामिल है। केलो डैम की क्षमता 61.95 मिलियन क्यूबिक मीटर है। इस परियोजना के पूरे होने से 175 गांवों के 22 हजार 810 हेक्टेयर को सिंचाई सुविधा मिलेगी। जिसमें रायगढ़ जिले के 167 गांवों की 21 हजार 596 हेक्टेयर और सक्ती जिले के 8 गांवों की 1 हजार 214 हेक्टेयर जमीन शामिल है। इसके निर्माण की उच्च स्तर से नियमित समीक्षा की जा रही है।

पुसौर विकासखंड के ग्राम नेतनागर में भी नहर का काम किया जाना है। यहां लगभग 1.6 किमी का काम होगा। जिसके पश्चात 860 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा मिलेगी। केलो परियोजना में नहरों का काम पूरा होने पर हजारों किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सिंचाई का रकबा तो बढ़ेगा ही। भू-जल के रिचार्ज का एक बड़ा फायदा नहरों के बनने से मिलेगा। जो आने वाले समय में भी पेयजल की आपूर्ति और स्थानीय जल स्त्रोतों में वाटर लेवल को बनाए रखने के लिहाज से अत्यंत लाभकारी होगा। इससे क्षेत्र में फसल की उत्पादकता बढ़ेगी।

परियोजना पूर्ण होने से ये होंगे फायदे- केलो परियोजना में नहरों का काम पूरा होने पर हजारों किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। नहर से पानी मिलने से जहां सिंचित रकबे में वृद्धि होगी वहीं फसल की उत्पादकता भी बढ़ेगी। भू-जल रिचार्ज करने में भी इससे मदद मिलेगी। निस्तार और पेयजल की आपूर्ति में भी सहायता होगी।

मुख्य नहर और शाखा नहर का काम पूरा, वितरक और लघु नहरों में चल रहा काम- परियोजना में कुल 313 किमी लंबाई के नहर बनाने है। जिसमें से 248 किमी लंबाई की नहरें बनाई जा चुकी हैं। इसमें 1 मुख्य नहर के साथ, 1 शाखा नहर, 7 वितरक नहर और 91 लघु नहरों का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें मुख्य नहर के 28.31 किमी और झारमुड़ा के 16.11 किमी शाखा नहर का काम पूरा किया जा चुका है। वहीं 68.60 किमी वितरक नहर और 135.50 किमी लघु नहरों का काम पूरा हो चुका है। शेष कार्य भी पूरा किया जा रहा है। परियोजना को दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

केलो से दिया जाता है 13 हजार करोड़ लीटर सिंचाई और 444 करोड़ लीटर पेयजल के लिए- केलो बांध में स्टोर किया गया पानी नहरों के माध्यम से सिंचाई और पेयजल और निस्तारी के लिए दिया जाता है। कार्यपालन अभियंता पी.आर.फुलेकर ने बताया कि केलो बांध की ऊंचाई 24.22 मीटर है। इसमें स्टोर पानी में से विभिन्न प्रयोजनों के लिए नहरों के माध्यम से पानी दिया जा रहा है। जिसमें से 137.48 एमसीएम अर्थात 13 हजार 738 करोड़ लीटर पानी सिंचाई के लिए दिए जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही लगभग 444 करोड़ लीटर पानी पेयजल के उद्देश्य से दिया जाता है। इसमें बारिश के पानी के साथ ही स्टोरेज क्षमता का पानी उपयोग किया जाता है।

34 कि.मी.दूर कठली में पहुंच रहा नहर से पानी- केलो परियोजना के तहत नहरों के निर्माण होने से गांवों तक पानी पहुंच रहा है। जिसका उपयोग गांव में किसान खेती किसानी के साथ ही पेयजल और निस्तारी के लिए कर रहे हैं। केलो बांध से लगभग 34 कि.मी. दूर पुसौर विकासखंड का कठली गांव है। यहां पर केलो नहर का काम पूरा हो चुका है और यहां नहर से पानी भी पहुंच रहा है।

कोतवाली क्षेत्र से गुम हुई बालिका खरसिया में मिली

- नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार, पोक्सो एक्ट में गया जेल

रायगढ़। 4 महीने पूर्व सिटी कोतवाली रायगढ़ क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग बालिका अचानक घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। बलिका के परिजन 24 नवंबर 2022 को थाना सिटी कोतवाली में बालिका के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कर बताये कि बालिका सुबह स्कूल के लिए निकली थी और घर वापस नहीं आई है। बालिका के गुम रिपोर्ट से कोतवाली थाने में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गुम बालिका की पतासाजी की जा रही थी। गुम बालिका की पतासाजी दौरान कोतवाली पुलिस द्वारा गुम बालिका के वारिशान, उसके सहेलियों से पूछताछ पर ग्राम लाखा के युवक निलेश सिंह चौहान से बालिका के मित्रता की जानकारी मिली। नीलेश और बालिका दोनों के घर पर नहीं होने से कोतवाली पुलिस मुखबिर लगाकर दोनों का संयुक्त रूप से पतासाजी किया जा रहा था। इसी बीच नीलेश के उसके खरसिया में उसके परिचित के यहां शरण लेने आने की जानकारी मिलने पर कल थाना कोतवाली से पुलिस टीम खरसिया रवाना हुई जहां संदेही निलेश सिंह चौहान के कब्जे से बालिका को दस्तयाब किया गया है। बालिका अपने बयान में निलेश द्वारा शादी का प्रलोभन देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाना बताई। बालिका के परिजनों और उसकी स्वयं की सहमति से मेडिकल कराकर प्रकरण में धारा 366, 376 आईपीसी एवं 4, 6 पोक्सो एक्ट जोड़कर आरोपी निलेश सिंह चौहान (उम्र 19 साल), केलो डैम कोसा बाड़ी के पास, ग्राम लाखा, रायगढ़ को गिरफ्तार न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी संजय महादेवा कथा सीएसपी अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन पर गुम बालिका, पतासाजी एवं आरोपी गिरफ्तारी में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे, सहायक उपनिरीक्षक सोहन साहू, प्रधान आरक्षक नंदकुमार सारथी, हेमन पात्रे की प्रमुख भूमिका रही है।

रामनवमी की शोभायात्रा को लेकर कलेक्टर और एसपी ने ली शांति समिति की बैठक : हथियारों का उपयोग और पावर जोन रहेगा प्रतिबंधित

- ट्रैफिक व्यवस्था में सहयोग के लिए समिति के वॉलंटियर रहेंगे तैनात
- पुलिस कंट्रोल में हुई बैठक, रुट चार्ट और व्यवस्थाओं को लेकर दिए गए जरूरी दिशा-निर्देश

रायगढ़। रायगढ़ शहर में 30 मार्च को रामनवमी पर निकलने वाली शोभायात्रा को लेकर कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा व एसपी सदानंद कुमार ने संयुक्त रूप से पुलिस कंट्रोल रूम में शांति समिति की बैठक ली। नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा, एडिशनल एसपी संजय महादेवा, एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा भी शामिल हुए।

बैठक में रामनवमी की शोभायात्रा को लेकर सभी तैयारियों पर चर्चा की गयी तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आयोजन समिति को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने कहा कि रामनवमी की शोभायात्रा में तमाम जरूरी तैयारियां का विशेष ध्यान रखा जाए, जिससे किसी प्रकार की अव्यवस्था या अप्रिय स्थिति न बने। पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार ने आयोजन समिति के सदस्यों से कहा कि शोभायात्रा के दौरान वॉलंटियर तैनात किए जाएं। जो यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने शोभायात्रा के दौरान संकरे रास्ते का उपयोग करने से बचने की सलाह दी। पूरी यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं के देखरेख के साथ सौहाद्र्र बनाये रखने हेतु वालेंटियर रखने की बात भी समिति सदस्यों से कही। उन्होंने कहा कि शोभायात्रा के दौरान हथियारों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा साथ ही पावर जोन का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। डीजे की आवाज माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार रखने के निर्देश भी दिए गए। जिससे बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी न हो, साथ ही अस्पतालों के करीब इसका विशेष ध्यान रखने के लिए निर्देशित किया गया। अनुमति प्राप्त कर ही ड्रोन चलाने के निर्देश भी दिए गए। पुलिस अधीक्षक कुमार ने कहा कि संयुक्त टीम द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। किसी प्रकार अप्रिय स्थिति न बने।

बैठक में सभापति नगर निगम जयंत ठेठवार, शेख सलीम नियारिया, आशीष ताम्रकार, दीपक पांडे, गुरुपाल सिंह भल्ला, गोपाल बापोडिया, आशीष यादव, जितेन्द्र निषाद, विक्रांत तिवारी, जग्गू ठाकुर, सौरभ अग्रवाल, रवि पांडे, पिंटू सिंह, प्रवीण द्विवेदी, नरेंद्र ठेठवार, अमित यादव सहित आयोजन समिति के सदस्य व शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम अंतर्गत शहर के विभिन्न होटलों का किया गया निरीक्षण

- प्रतिष्ठान में निर्माण एवं विक्रय किए जा रहे खाद्य पदार्थों के समय मानक तरीकों का अनुपालन करने के दिए निर्देश
- उल्लंघन पाए जाने पर होगी नियमानुसार कार्यवाही

रायगढ़। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देशन में सीएमएचओ डॉ.मधुलिका सिंह ठाकुर द्वारा रायगढ़ शहर के विभिन्न होटलों एवं रेस्टोरेंट/विनिर्माण ईकाइयों में निर्मित खाद्य पदार्थो के गुणवत्ता परीक्षण, शुद्धता एवं मानक स्तर की जॉच करने एवं निर्माण स्थलों के परिवेश में साफ-सफाई के साथ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम अंतर्गत निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए है।

उक्त निर्देशन के परिपालन में सरिता पटेल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जिला मुख्यालय में स्थित मे.मुरारी द किचन ढीमरापुर चौक, मे.तुलसी स्वीट्स एण्ड नमकीन रामनिवास टाकीज चौक, मे.होटल गणगौर स्वीट्स पैलेस रोड़, मे.अलंकार स्वीट्स गोपी टाकीज चौक, मे.चावला रेस्टोरेंट चक्रधर नगर चौक, मे.न्यू चावला रेस्टोरेंट गांधी चौक, कलकत्ता स्वीट्स दयाराम कॉम्प्लेक्स सत्तीगुड़ी चौक एवं मे.सुश्री रेस्टोरेंट एण्ड नमकीन कबीर चौक रायगढ़ का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उपर्युक्त समस्त होटलों एवं रेस्टोरेंट/विनिर्माण ईकाइयों को प्रतिष्ठान में निर्मित कर विक्रय किए जा रहे मिठाईयों एवं नमकीनों के निर्माण के समय स्वच्छ व साफ-परिवेश, गुणवत्ता युक्त अवयव का उपयोग करने, मानक तरीकों का अनुपालन करने का नियमानुसार निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार विक्रय किए जा रहे समस्त खाद्य पदार्थों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जैसे-मिठाईयों को विक्रय हेतु प्रदर्शित ट्रे, आधान या पात्र में निर्माण तिथि व उपयोग तक की तिथि का अनिवार्य रुप से लिखा व प्रदर्शित होना, नमकीनों के पैकेट्स में खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार नमकीन/खाद्य पदार्थ का नाम, विनिर्माता का नाम और पूरा पता, विनिर्माण या पैक करने की तारीख, पूर्व उत्तम तारीख तक उपयोग आदि का अनिवार्य रुप से उल्लेख किए जाना एवं प्रतिष्ठान से विक्रय किए जा रहे खाद्य पदार्थों के लिए उपभोक्ताओं को दिए जा रहे बिल/भुगतान रसीद में नियमानुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी 14 अंको का लाईसेन्स/अनुज्ञप्ति क्रमांक अनिवार्य रुप छपे होने संबंधित निर्देश दिए गए।

फर्मों के निरीक्षण के समय उनमें पाए गए खामियों को तत्काल 03 दिवसों के भीतर सुधार करने का निर्देश देते हुए नियमानुसार सुधार-नोटिस तामिल कराया गया एवं निर्माण व गुणवत्ता में शंका के आधार पर मे.मुरारी/किचन ढीमरापुर चौक से फलाहारी नमकीन/मिक्चर का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत विधिवत नमूना संकलित कर जॉच हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला परीक्षण प्रयोगशाला भेजे जाने की कार्यवाही मौके पर की गई। खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग द्वारा संकलित नमूने की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत एवं उल्लेखित फर्मों में दिए गए समयावधि में निर्देशित आवश्यक सुधार न पाए जाने पर भी नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी एवं जनसामान्य को स्वच्छ परिवेश में निर्मित सुरक्षित, मानक, गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थो की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके इसके लिए विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, विक्रय, संधारण व वितरण में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का परिपालन कराए जाने के लिए इस प्रकार की कार्यवाही सतत् जारी रहेगी।

कलेक्टर जनदर्शन : दो बुजुर्ग महिलाओं को तत्काल मिला अन्त्योदय राशन कार्ड

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने आज कलेक्टोरेट में जनदर्शन के दौरान लोगों की मांग, शिकायत, सुझाव सुनीं। उन्होंने संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित की। जनदर्शन में अवैध कब्जा, पेंशन, शौचालय निर्माण हेतु सहायता राशि, पीएम आवास ग्रामीण, बिलाईगढ़ में जिला सहकारी केन्द्रीय मर्यादित बैंक की शाखा खोलने, बिलाईगढ़ में सुलभ शौचालय खोलने, 46 सागौन पेड़ काटने की अनुमति, गांव परसदा (बड़े) में शासकीय उचित मूल्य (पीडीएस) दुकान खोलने, बैटरी चलित ट्राइसायकल प्रदान करने, शासकीय उचित मूल्य दुकान के पूर्व संचालक के विरूद्ध शिकायत, राशन कार्ड बनाने, धमकी, आंगनबाड़ी नियमित नहीं खोलने की शिकायत, गौठान परिसर में अवैध निर्माण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रदान करने, आपराधिक प्रकरण आदि के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार 2 गरीब बच्चों के इलाज के आवागमन के लिए बस पास की सुविधा के लिए प्रार्थना की है। जनदर्शन में 30 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जनदर्शन में ग्राम उलखर की परित्यक्ता भेकबाई चन्द्रा के प्राथमिकता राशन कार्ड को परिवर्तित कर अन्त्योदय राशन कार्ड के लिए निवेदन करने पर कलेक्टर की पहल से तत्काल अन्त्योदय राशन कार्ड बनाकर प्रदान किया गया। इसी प्रकार बिलाईगढ़ विकासखंड के ग्राम बिलासपुर की रामबाई साहू के निवेदन पर तत्काल अन्त्योदय राशन कार्ड बनाकर प्रदान किया गया।

रीपा गौठानों में प्राथमिकता के साथ लगाएं विभागीय यूनिट -कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा

- मैन्यु फैक्चरिंग यूनिट पर करें फोकस, उद्यमियों को करें प्रशिक्षित
- विभागीय योजनाओं से जनसामान्य को करें लाभान्वित
- डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाने के दिए निर्देश
- कलेक्टर सिन्हा ने ली विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक

रायगढ़। जिले के गोठानों में सभी विभागों की गतिविधियों को प्राथमिकता के साथ शामिल किया जाए, रीपा गोठानों में यूनिट स्थापना के साथ कार्यशाला का आयोजन किया जाए। जिससे उद्यमी बेहतर रूप से यूनिट का संचालन कर सके। उक्त बातें कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने गत दिवस आयोजित उद्योग, रेशम, हाथकरघा, हस्त शिल्प विकास बोर्ड, खादी, जिला योजना एवं सांख्यिकी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार, कौशल विकास एवं अन्त्यावसायी विभाग की संयुक्त बैठक में कही।

कलेक्टर सिन्हा ने विभागवार योजनाओं एवं प्रगति की समीक्षा की। श्रम विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर सिन्हा ने श्रमिकों के पंजीयन, मिनी माता महतारी जतन योजना, नोनी सशक्तिकरण जैसे विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। विभागीय अधिकारी द्वारा बताया गया कि योजना का संचालन नियमित रूप से किया जा रहा है। जिसमें आवेदन प्राप्त हो रहे है, उनको पात्रतानुसार योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। जिला व्यापार एवं उद्योग के महाप्रबंधक ने बताया कि विभाग में तीन तरह की योजनाएं संचालित की जा रही है। जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 247 प्रकरण को बैंकों में भेजा गया था। जिसमें 88 स्वीकृत हो चुके है एवं 26 वितरित किए जा चुके है। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजनान्तर्गत 107 में 36 प्रकरण स्वीकृत किए गए है। इसी प्रकार उद्योग स्थापना श्रेणी में सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, मेगा एवं वृहद उद्योग के तहत 49 उद्योग स्थापित किए गए है। इसी क्रम में कलेक्टर सिन्हा ने रेशम विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। विभागीय अधिकारी ने बताया गया कि जिले में टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम एकीकृत टसर विकास कार्यक्रम, पौध रोपण, मलबरी रेशम विकास, टसर धागाकरण विकास कार्यक्रम विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे है। इन योजनाओं के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है।

कलेक्टर सिन्हा ने विभागीय अधिकारी को रेशम उत्पादन धागाकरण, बुनकरी, रंगाई जैसे कार्यों के लिए एक एकीकृत यूनिट स्थापित किया जाए, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ-साथ बेहतर लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार मलबरी रेशम विस्तार के लिए जिले के अन्य स्थानों पर भी रेशम केन्द्र बनाए जाए, जिससे वृक्षारोपण के साथ-साथ स्थानीय लोगों को भी रोजगार प्राप्त होगा। कलेक्टर सिन्हा ने जिला अंत्यावसायी विभाग को निर्देशित किया कि छोटे व्यापार हेतु प्राथमिकता से ग्रामीण अंचलों के लोगों को योजना का लाभ प्रदान किया जाए। कलेक्टर सिन्हा ने जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग से विभिन्न मदों के प्राप्त प्रस्ताव एवं स्वीकृत कार्यों की जानकारी ली। संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा बताया कि आबंटित राशि के विरूद्ध व्यय किया जा चुका है। वर्तमान में किसी प्रकार का राशि शेष नहीं है। इस दौरान उन्होंने जन्म-मृत्यु पंजीकरण की भी जानकारी ली।

कलेक्टर सिन्हा ने जिला रोजगार एवं स्वरोजगार एवं खादी ग्रामोद्योग के कार्यों एवं योजनाओं की समीक्षा की। कौशल विकास विभाग को निर्देशित किया कि रीपा गौठानों में नये उद्यमियों को प्राथमिकता के साथ कौशल प्रशिक्षण प्रदान करें। कलेक्टर सिन्हा ने हस्तशिल्प विकास बोर्ड को निर्देशित किया कि रीपा गौठानों का सर्वे कर बेलमेटल प्रशिक्षण आदि का कार्य किया जाए। उन्होंने बेलमेटल हेतु बोतल्दा स्थित रीपा गौठान में कार्यशाला के साथ शॉप बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी कार्यों में बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज पर कार्य करने के निर्देश दिए।

बैठक में संयुक्त डी.आर.रात्रे, मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग शिव कुमार राठौर एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाने के दिए निर्देश- कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि जिले में बड़ी संख्या में उद्योग एवं खदानें स्थापित है। अप्रत्याशित अप्रिय घटना होने की स्थिति में निपटने के लिए हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिले में उपलब्ध संसाधन, मेडिकल फैशलिटी, मैनपावर, मशीनरी की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के विभागीय अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया जाए। जिससे अप्रिय घटना होने पर उस पर आसानी से नियंत्रण किया जा सके।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480